Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 05 भाग 02, (जुलाई, 2025)
पृष्ठ संख्या 08

किसान सम्मान निधि योजना

डॉ. अजीत सिंह[1], डॉ. अश्वनी कुमार सिंह[1], डॉ आर. के. बंसल[2], डॉ. यासिर अजीज तंबोली[1], और डॉ. एम. के. यादव[1]

[1]सहायक प्राध्यापक, [2]प्राध्यापक,
स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी,
जयपुर–302017, राजस्थान, भारत।

Email Id: – drajeet.singh@jnujaipur.ac.in

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसकी शुरुआत 2018 के रबी सीजन में की गई थी यह योजना भारत सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे सभी किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है सहायता के रूप में ₹6000 उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे सभी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनके सामने बुवाई से पहले बीज, खाद इत्यादि खरीदने की समस्या बनी रहती है क्योंकि ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिस कारण किसानों को बुवाई से पहले तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं समस्याओं का समाधान है। इस योजना के अंतर्गत ₹2000 की तीन किस्तों में प्रत्येक किसान को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि का स्वामित्व है, प्रतिवर्ष कुल ₹6000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे इन किसानों के बैंक खातों में जमा हो जाती है। इन सभी छोटे किसानों में से अधिकतर सीमांत किसान है जो की खेती के द्वारा केवल अपना पेट ही भर पाते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाकर ऐसे किसान काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे सभी किसानों का बैंक खाता संख्या और अन्य सभी जानकारी केंद्र सरकार तक भेजी जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि मौजूद होती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली सभी जानकारी की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सभी किसानों के खातों में धनराशि जमा कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली सहायता राशि की मदद से किसान के द्वारा समय पर बुवाई का कार्य संपन्न कर लिया जाता है।

किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदनः–

किसान सम्मान निधि योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपनी भूमि का रसीद लेकर जन सेवा केंद्र जाना होता है।

जन सेवा केंद्रः जन सेवा केंद्र सभी आवश्यक सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए एक डिजिटल एक्सेस पॉइंट है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसके उपरांत पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर ली जाती है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया में 5–10 मिनट का ही समय लगता है।

आवेदन के भर जाने के बाद आवेदन को संबंधित किसान के ब्लॉक में भेज दिया जाता है जहां पर आवेदन का सत्यापन होता है। ब्लॉक में आवेदन का सत्यापन होने के बाद इस आवेदन को जिला कल्याण विभाग भेज दिया जाता है। जिला कल्याण विभाग से सत्यापित हो जाने के बाद इस आवेदन को राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाता है। इन सभी चरणों से होते हुए अंत में किसान का आवेदन केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुंच जाता है।

जब तक राज्य सरकारों द्वारा किसानों का अकाउंट वेरीफाई नहीं कर दिया जाता है तब तक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। जब आवेदन को राज्य सरकार रिवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और अकाउंट नंबर के द्वारा सत्यापित कर लेती है तब उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 6000 की राशि 2000 की तीन किस्तों में किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अबतक 22594.78 करोड़ रुपए राज्य के 2.35 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है।

खाते में किस्त नहीं आने पर अपनाये यह प्रक्रियाः

आवेदन करने के बाद अगर किसान को किस्त नहीं प्राप्त होती है तो किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा देनी चाहिएः–

- प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबरः155261
- प्रधानमंत्री किसान टोल फ्री नंबरः 18001155266
- प्रधानमंत्री किसान लैंडलाइन नंबरः 011–23381092, 23382401
- प्रधानमंत्री किसान की नई हेल्पलाइन नंबरः 011–24300606
- ईमेलःpmkisan&ict@gov.in